

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना
(BIHAR STATE MADARSA STRENGTHENING SCHEME)

मार्गनिर्देशिका

1. बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएँ एवं आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध कराये जाने एवं शैक्षणिक सुधार हेतु उपाय करने से संबंधित योजना को "बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना (Bihar State Madarasa Strengthening Scheme)" के नाम से जाना जाएगा।

2. सुदृढीकरण हेतु किये जाने वाले कार्य:— इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य मुख्यतः दो प्रकार के होंगे:—

2.1. आधारभूत संरचनाएँ/सुविधाएँ:— भवन, कार्यालय कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, छात्रावास, वोकेशनल प्रशिक्षण हेतु हॉल, कम्प्यूटर/विज्ञान लैब, अतिरिक्त वर्गकक्ष, पुस्तकालय, रसोई घर, मेस, शौचालय आदि का निर्माण, भवनों का जीर्णोद्धार, स्वच्छ पेयजल हेतु बोरिंग, पम्प तथा टंकी सहित नल, बिजली, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि का अधिष्ठापन।

2.2 शैक्षणिक स्तर के सुधार:— मदरसों में परंपरागत विषयों के साथ साथ हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, समाजिक विज्ञान, गणित आदि के पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना, पठन-पाठन की सुविधाएँ उपलब्ध किया जाना जिससे मदरसा एवं स्कूली शिक्षा में अंतर समाप्त किया जा सके एवं मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार

किया जा सके। सरकार द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, मदरसा-स्कूल ब्रिज कोर्स केन्द्र, प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कोचिंग केन्द्र आदि का स्थापन एवं प्रबंधन आदि। शैक्षिक-सह-शैक्षणिक शोध आदि क्रियाकलाप। इसके अतिरिक्त पुस्तकें, मैगजीन, अखबार, खेल-कूद सामग्री उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया जाना। शिक्षकों का प्रशिक्षण, वाह्य शिक्षकों एवं विशेषज्ञों की सेवा प्राप्ति, मदरसा के शिक्षकों/विद्यार्थियों का देश के ख्याति प्राप्त मदरसों का भ्रमण आदि प्रस्ताव। मदरसा बोर्ड का क्षमतावर्धन एवं आधुनिकीकरण से संबंधित प्रस्ताव।

3. योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मदरसों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर समुचित उद्ध्यय एवं बजट का प्रावधान किया जाएगा।

4. बिन्दु 2.1 के तहत कार्यों का क्रियान्वयन अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा कराया जाएगा। बिन्दु 2.2 के तहत कार्यों का क्रियान्वयन बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा कराया जाएगा, जिसके लिए विभाग द्वारा मदरसा बोर्ड को प्रतिवर्ष बजटीय आकलन के आधार पर अनुदान राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

5. योजना के क्रियान्वयन हेतु मदरसों की पात्रता :

5.1 योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा अनुदानित मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में किया जाएगा। योजना के सुचारु संचालन हेतु मदरसा बोर्ड, वर्तमान शिक्षण स्तर को देखते हुए, प्रत्येक ब्लॉक में एक ब्लॉक शीर्ष मदरसा (Block Lead Madarsa) तथा जिले स्तर में एक जिला शीर्ष मदरसा (District Lead Madarsa) नामित करेगा। शीर्ष मदरसे संसाधन केन्द्र का कार्य करेंगे एवं योजना के संचालन में सहयोग प्रदान करेंगे।

5.2 योजना हेतु मदरसों का चयन :

योजना का क्रियान्वयन ऐसे ही मदरसों में किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों :—

- (क) संबंधित मदरसा प्रबंध समिति के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में किसी अनुशासनिक कार्रवाई के आलोक में समिति दोषी नहीं पायी गयी हो।
- (ख) योजना हेतु मदरसों के नाम से पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
- (ग) संबंधित मदरसे में 70 छात्रों से अधिक का नामंकन हो।
- (घ) संबंधित मदरसे की प्रसूचिति कम-कम से दो वर्षों से अधिक का हो।

इसके लिए मदरसा बोर्ड पात्र मदरसों की सूची जारी करेगा।

5.3 प्रस्ताव प्रतिवेदन (Draft Proposal) :

मदरसा प्रबंध समिति, मदरसे में आवश्यक सुविधाओं/संरचनाओं का आकलन कर, प्रस्ताव प्रतिवेदन तैयार करेगी एवं प्रस्ताव को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा। प्रस्ताव प्रतिवेदन में कार्य की रूप-रेखा का विवरण शामिल होगा। प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा तय विभिन्न स्तर के मदरसों हेतु संरचना/सुविधाओं के अनुमोदित माप दण्ड/मानक के अनुसार ही तैयार किया जाएगा।

6.1 जिला अनुमोदन समिति :— मदरसों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु जिला स्तर पर जिला अनुमोदन समिति कार्यरत होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :—

जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त	—	अध्यक्ष
जिला शिक्षा पदाधिकारी / प्रोग्राम ऑफिसर	—	सदस्य
भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता	—	सदस्य
जिला लीड मदरसा के प्रधानाध्यापक	—	सदस्य
संबंधित मदरसे के प्रबंध समिति के सचिव	—	आमंत्रित सदस्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	—	सदस्य सचिव

कोरम तीन सदस्यों से पूर्ण होगा जिसमें अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं संबंधित मदरसे के प्रबंध समिति के सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6.2 संक्षिप्त प्राक्कलन एवं स्थल जाँच :

जिला अनुमोदन समिति के विचार से पूर्व, मदरसों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का स्थल जाँच दो सदस्यीय दल द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। जाँच दल में सम्बंधित जिले के भवन निर्माण विभाग के एक सहायक अभियंता एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी होंगे। जाँच के समय संबंधित मदरसा प्रबंध समिति के सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जाँच एक महीने में पूरा किया जाना आवश्यक होगा। जाँच दल अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रस्तावित कार्य की विस्तृत रूप-रेखा एवं मानक दर/एस ओ आर (Schedule of Rate) के आधार पर लागत का संक्षिप्त या विस्तृत प्राक्कलन भी उपलब्ध करायेगा।

6.3 जिला अनुमोदन समिति प्राप्त प्रस्तावों को समेकित कर प्रत्येक महीने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को अपनी अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराएगी।

7.1 विभागीय अनुमोदन समिति:

जिलों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य स्तर पर विभागीय अनुमोदन समिति कार्यरत होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :—

प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग — अध्यक्ष
निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय — उपाध्यक्ष
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या उनके प्रतिनिधि

— सदस्य

श्रमसंसाधन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव या उनके प्रतिनिधि

— सदस्य

मदरसा बोर्ड के सचिव या अन्य वरीय स्तर के प्रतिनिधि

— सदस्य

मदरसा इस्लामिया समशुल होदा, पटना के प्रधानाध्यापक

— सदस्य

उप सचिव/सहायक निदेशक/अवर सचिव,

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/निदेशालय — सदस्य सचिव

कोरम चार सदस्यों से पूर्ण होगा जिसमें प्रधान सचिव/
सचिव तथा निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7.2 विभागीय समिति व्यवहार्यता विश्लेषण तथा उपलब्ध आवंटन के आधार पर प्रस्तावों पर आंशिक या पूर्ण अनुमोदन प्रदान करेगी एवं क्रियान्वयन की प्राथमिकता निर्धारित करेगी। समिति योजना के क्रियान्वयन में आ रही प्रक्रियागत और अन्य खामियों को दूर करने के लिए नीतिगत बदलाव के सुझाव पर भी विचार करेगी। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों में चलाई जा रही योजनाओं को मदरसों में लागू/विस्तारित करने हेतु अंतरपूर्ति के प्रस्तावों पर भी समिति दिशानिर्देश देगी।

7.3 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय क्रियान्वयन एजेंसी का चयन करेगा तथा उसे विस्तृत योजना प्राक्कलन एवं नक्शा तैयार करने को निदेशित करेगा। प्राक्कलन प्राप्ति के पश्चात् आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्य राज्य एजेंसियाँ यथा भवन निर्माण विभाग, बिहार राज्य शिक्षा आधारभूत संरचना विकास निगम, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम आदि के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

7.4 योजना प्रस्ताव प्रतिवेदन अन्तर्गत शीर्षों में वर्णित कार्य योजनाओं में संशोधन एवं क्रियान्वयन किये जाने वाले एजेंसियों में परिवर्तन करने की शक्ति विभागीय समिति में निहित होगी।

7.5 संबंधित कार्य के लिए अगले आवंटन हेतु पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किया जाना आवश्यक होगा। आंशिक उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किये जाने की स्थिति में अगले आवंटन में समानुपातिक कटौती की जाएगी।

7.6 योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुदानित/सरकारी मदरसों की जमीन महामहिम राज्यपाल बिहार के नाम से निबंधित/हस्तांतरित करने की बाध्यता नहीं होगी।

8. योजना क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय एवं संरचना : —

8.1 विभागीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, देख-रेख एवं निरीक्षण के लिए एक Project Management Unit (PMU) का गठन किया जाएगा। PMU अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के निदेशक के अन्तर्गत कार्यरत रहेगा एवं योजना संबंधी प्रगति से उन्हें समय-समय पर अवगत कराएगा। योजना संचालन में

सहयोग हेतु बिहार शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्त एक वरीय पदाधिकारी विभाग में पदस्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त PMU के अन्तर्गत एक परियोजना प्रबंधक एवं एक एकाउटेन्ट को संविदा पर रखा जायेगा। संविदा की अवधि एक वर्ष की होगी जिसे कार्य के मूल्यांकन के पश्चात् विस्तार किया जा सकेगा। योग्यता एवं पारिश्रमिकी का निर्धारण विभागीय अनुमोदन समिति द्वारा किया जाएगा। PMU के कर्मियों का चयन संविदा के आधार पर सरकारी एजेंसी/एच० आर० एजेंसी से किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आई०टी० सक्षम प्रणाली का विकास किया जाएगा।

8.2 योजना संचालन हेतु प्रत्येक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में एक अतिरिक्त सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर जो कि उर्दू साक्षर हों की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध करायी जाएगी।

8.3 इस योजना के बजट राशि का 3 प्रतिशत तक व्यय प्रशासनिक मद यथा संविदा सेवा, क्षमतावर्द्धन, प्रचार-प्रसार, सेमिनार आयोजन, प्रशिक्षण, वाह्य सेवा प्रदाता द्वारा परामर्शी एवं कार्यालय कार्य हेतु अन्य सेवा, यात्रा एवं दैनिक भत्ता आदि में आवंटित किया जा सकेगा।

9. निरीक्षण एवं निगरानी :

9.1 वाह्य एजेन्सियों के विशेषज्ञ/गणमान्य व्यक्तियों, अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक संस्था आदि द्वारा योजना की प्रगति एवं प्रभावकारिता का अंकेक्षण कराया जाएगा। नामित शीर्ष मदरसे अपने क्षेत्र में अवस्थित मदरसों में किये गये कार्यों का मूल्यांकन आदि हेतु

नियमित बैठक करेंगे तथा प्रतिवेदन संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

9.2 योजना की समीक्षा हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला शीर्ष मदरसे के सहयोग से जिला स्तर पर त्रैमासिक सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें जिले के कुल ब्लॉक शीर्ष मदरसा शामिल होंगे।

9.3 निदेशालय द्वारा मदरसा बोर्ड के सहयोग से राज्य स्तर पर छमाही मदरसा आधुनिकीकरण सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें प्रत्येक जिला के जिला लीड मदरसा भाग लेंगे।

9.4 योजना से सम्बद्ध विभागीय अधिकारी/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आदि, जिला स्तर पर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी होंगे और योजना से संबंधित किसी भी शिकायत की प्राप्ति पर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।



बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
4 ब्लॉक, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना
आवेदन का विहित प्रपत्र प्रारूप

आवेदन क्रमांक (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा).....आवेदन प्राप्ति की तिथि.....

1. मदरसा का नाम:.....
2. स्तर: वस्तानिया / फोकानिया / मौलवी / आलिम / फाज़िल.....
3. मदरसा का पता: ग्राम / मोहल्ला / वार्ड—.....पो0.....थाना.....
प्रखण्ड.....जिला.....पिन कोड.....4. फोन नं0.....
5. ई-मेल आई-डी, (यदि हो तो).....
6. (क) मदरसा का स्थापना वर्ष :-.....(ख) बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की
अंगीभूत / प्रस्वीकृति संख्या—.....(ग) अंगीभूत / प्रस्वीकृत वर्ष—.....
7. मदरसे के स्टॉफ की संख्या—(क) शैक्षणिक.....(ख) अशैक्षणिक.....
8. वर्तमान सत्र (साल :-.....) में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की संख्या—.....
9. विगत दो वर्षों में विभिन्न शैक्षणिक स्तरों में बिहार मदरसा बोर्ड की परीक्षा में भाग
लेने / प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण

विद्यार्थियों की विवरणी:-

स्तर	वर्ष—		वर्ष—		अभियुक्ति
	उपस्थित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण	उपस्थित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण	
वस्तानिया					
फोकानिया					
मौलवी या उच्चतर					

10. मदरसे का विगत दो वर्षों का आय-व्यय :-

	आय	व्यय
वर्ष-1		
वर्ष- 2		

11. मदरसे की जमीन की विवरणी : खाता.....खेसरारकवा.....
12. हेड मौलवी / प्राचार्य:- नाम.....
मोबाईल नं0.....ईमेल.....
13. मदरसा प्रबंध समिति के सचिव का नाम—.....
पता—.....
मोबाईल नं0—.....ई-मेल,आई.डी.....
14. वर्तमान प्रबंध समिति का कार्यकाल : गठन तिथि.....सेतक

मदरसा प्रबंध समिति के सचिव
(नाम एवं मोहर)

आवेदन प्राप्ति रसीद
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

आवेदन क्रमांक.....मदरसा का नाम.....
पता :-.....
से बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना हेतु आवेदन प्राप्त किया।
तिथि :-.....प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
स्थान :-.....(नाम / पदनाम)

—: घोषणा पत्र :—

- (1) मदरसा प्रबंध समिति के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में अनुशासनिक कार्रवाई में कोई दोषी नहीं पाया गया है।
- (2) उक्त भूमि मदरसे के नाम से है तथा विवाद मुक्त है।
- (3) उक्त प्रस्ताव पर मदरसा प्रबंध समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

मदरसा प्रबंध समिति के अध्यक्ष
(नाम एवं हस्ताक्षर)

मदरसा प्रबंध समिति के सचिव
(नाम एवं हस्ताक्षर)

मदरसा प्रबंध समिति के पदेन सदस्य—I
हेड मौलवी / प्राचार्य
(नाम एवं हस्ताक्षर)

मदरसा प्रबंध समिति के सदस्य—II
(नाम एवं हस्ताक्षर)

मदरसा प्रबंध समिति के सदस्य—III
(नाम एवं हस्ताक्षर)

अनुलग्नक :-

- (i) मदरसा बोर्ड से प्राप्त प्रस्वीकृति पत्र।
- (ii) अंचल अधिकारी से संबंधित जमीन की L.P.C मूलप्रति।
- (iii) प्रस्तावित योजना के अनुमोदन संबंधित मदरसा प्रबंध समिति की कार्यवाही की प्रति।
- (iv) वर्तमान भवन / संरचना / परिसर का अधिकतम 5 फोटो।
- (v) प्रस्ताव हेतु चिन्हित भूमि का फोटो संलग्न है।
- (vi) योजना हेतु चिन्हित भूमि का नज़री नक्शा।

मदरसा सुदृढीकरण योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्रतिवेदन

- (1) मदरसा की वर्तमान भवन / सरंचना की विवरणी:—
(अधिकतम 5 फोटो संलग्न करें)।
- (i)
- (ii)
- (iii)
-
-
-
-
-
- (2) मदरसे में निम्नलिखित सरंचना की आवश्यकता है। (मार्गनिर्देशिका की कंडिका—2.1 एवं 2.2 देखें)। योजना की संक्षिप्त विवरणी—
- (i)
- (ii)
- (iii)
-
-
-
-
-
-
- (3) योजना हेतु चिन्हित भूमि का खाता.....
खेसरा..... रकबा.....
(नज़री नक्शा संलग्न करें)।

मदरसा प्रबंध समिति के सचिव
(नाम एवं मोहर)

नोट:— प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्तर के मदरसों हेतु तय सरंचना/सुविधाओं के अनुमोदित मापदंड/मानक के अनुसार ही तैयार किया जायगा।

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना

जाँच पत्रक

1.	मदरसा का नाम:	हाँ/नहीं
2.	स्तर:	हाँ/नहीं
3.	मदरसा का पता	हाँ/नहीं
4.	(क) बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से अंगिभूत/प्रस्वीकृति है	हाँ/नहीं
	(ख) अंगिभूत/प्रस्वीकृत दो वर्ष या दो वर्ष से अधिक है	हाँ/नहीं
5.	मदरसा बोर्ड से प्राप्त प्रस्वीकृति पत्र संलग्न है	हाँ/नहीं
6.	विगत दो वर्षों में विभिन्न शैक्षणिक स्तरों में बिहार मदरसा बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने/प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की विवरणी है	हाँ/नहीं
7.	मदरसे का विगत दो वर्षों का आय-व्यय अंकित है	हाँ/नहीं
8.	मदरसे की जमीन की विवरणी खाता, खेसरा एवं रकबा के साथ है	हाँ/नहीं
9.	अंचल कार्यालय से निर्गत संबंधित खाता, खेसरा की जमीन की एल.पी.सी. संलग्न है	हाँ/नहीं
10.	प्रस्तावित योजना हेतु चिन्हित भूमि का नज़री नक्शा संलग्न है	हाँ/नहीं
11.	प्रस्तावित भूमि पर कोई अस्थायी संरचना अवस्थित नहीं है	हाँ/नहीं
12.	वर्तमान भवन/संरचना/परिसर का अधिकतम 5 फोटो है	हाँ/नहीं
13.	प्रस्तावित योजना के अनुमोदन संबंधित मदरसा प्रबंध समिति की कार्यवाही की प्रति संलग्न है	हाँ/नहीं

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

(क) मदरसा प्रबंध समिति द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का अवलोकन किया गया। स्थल का संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् उल्लेखित योजनाओं में निम्न प्रस्ताव/प्रस्तावों की अनुशंसा की जाती है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	संक्षिप्त प्राक्कलन	चिन्हित स्थल की विवरणी	अभ्युक्ति

नोट :- प्रस्तावित योजनाओं हेतु चिन्हित भूमि की लंबाई/चौड़ाई, चौहदी, पहुँच पथ, भूमि की उपलब्धता संबंधित विवरणी आदि दर्ज किये जाएंगे।

मदरसा प्रबंध समिति के सचिव
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

सहायक अभियंता
(हस्ताक्षर एवं मोहर)



۹. جانچ و نگرانی:-

۹.۱ باہری ایجنسیوں کے ماہر معزز افراد، اقلیتی طبقہ کے سماجی سوسائٹی وغیرہ کے ذریعہ منصوبہ کی ترقی و افادیت کا اوڈٹ کرایا جائے گا۔ نامزد ہیڈ مدرسے اپنے علاقہ میں قائم مدرسوں میں کئے گئے کاموں کا تشخیص وغیرہ کے لئے باضابطہ میٹنگ کریں گے اور رپورٹ سے متعلق ضلع اقلیتی فلاح آفیسر پیش کریں گے۔

۹.۲ منصوبہ کی جائزہ کے لئے ضلع اقلیتی فلاح آفیسر، ضلع ہیڈ مدرسے کے مدد سے ضلع سطح پر سہ ماہی کانفرنس کا انعقاد کریں گے، جس میں ضلع کے کل بلاک ہیڈ مدرسہ شامل ہوں گے۔

۹.۳ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعہ مدرسہ بورڈ کے تعاون سے ریاستی سطح پر چھ ماہی مدرسہ جدید کانفرنس کا انعقاد کرے گا، جس میں ہر ایک ضلع کے ضلع ایڈ مدرسہ حصہ لیں گے۔

۹.۴ منصوبہ سے ماحقہ محکمہ افسر، ضلع آفیسر، ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر، ضلع اقلیتی فلاح آفیسر وغیرہ، ضلع سطح پر منصوبہ کا موثر عمل درآمد و نگرانی رکھنے اور منصوبہ سے متعلق کسی بھی طرح کی شکایت موصول ہونے پر قانونی کارروائی کرنا یقینی بنائیں گے۔



نفاذ کئے جانے والے ایجنسیوں میں تبدیلی کرنے کے قوت محکمہ جاتی کمیٹی میں متوقع ہوگی۔

۷.۵ اگلے گرانٹ سے متعلق کام کے لئے پہلے کے مختص کردہ رقم کا یوٹیلیٹی سرٹیفکٹ جمع کیا جانا ضروری ہوگا۔ جدوی یوٹیلیٹی سرٹیفکٹ جمع کئے جانے کی حالت میں اگلے گرانٹ میں تناسب کوٹی کی جائے گی۔

۷.۶ منصوبہ کے عمل کے لئے گرانٹ شدہ سرکاری مدرسوں کی زمین عزت مآب گورنر بہار کے نام سے رجسٹرڈ ٹرانسفر کرنے کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

۸. منصوبہ کے عمل کے لئے انتظامیہ خرچ اور انفراسٹرکچر

۸.۱ محکمہ جاتی سطح پر منصوبہ کے عمل، دیکھ رکھ اور جانچ کے لئے ایک Project

(PMU) Management Unit کا قیام کیا جائے گا۔ PMU ڈائریکٹوریٹ اقلیتی فلاح کے ڈائریکٹر کے زیر نگرانی کام کرے گا اور منصوبہ سے متعلق ترقی سے انہیں وقتاً فوقتاً اطلاع کرائے گا۔ منصوبہ کے عمل درآمد میں تعاون کے لئے بہار تعلیمی خدمت سے ڈپوٹیشن پر ایک اعلیٰ افسر محکمہ میں تقرر کئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ PMU کے تحت ایک پروجیکٹ مینیجر و ایک اکائونٹنٹ کو معاہدہ پر رکھا جائیگا۔ معاہدہ کی مدت ایک سال کی ہوگی جسے کام کے لئے تخصیص کے بعد توسیع کیا جاسکے گا۔ اہلیتی واجرت کا تعین محکمہ جاتی منظوری کمیٹی کے ذریعہ کی جائے گی۔

PMU کے ملازموں کا انتخاب معاہدہ کے بنیاد پر حکومتی ایجنسی راجی. آر. ایجنسی سے کیا جائے گا۔ منصوبہ کے اثر دار عمل کے لئے ضروری آئی. ٹی. مسابقتی نظام کو تیار کیا جائے گا۔

۸.۲ منصوبہ کے عمل درآمد کے لئے ہر ضلع اقلیتی فلاح کے دفتر میں ایک اضافی معاون کمپیوٹر آپریٹر جو کہ اردو کا جانکار ہو کی خدمت معاہدہ کے بنیاد مہیا کرائی جائے گی۔

۸.۳ اس منصوبہ کے بجٹ کے رقم کا تین فی صد تک خرچ انتظامیہ شے جیسے معاہدہ خدمت، صلاحیت بڑھانے، نشر و اشاعت، سیمینار منظم، ٹریننگ، باہری خدمت فراہم کرنے والے کے ذریعے کنسلٹنسی و دفتر کے کام کے لئے دیگر خدمات، ٹور اور روزانہ وظیفہ وغیرہ میں مختص کیا جاسکے گا۔



- پرنسپل سیکریٹری/سیکریٹری، محکمہ اقلیتی فلاح - صدر
- ڈائریکٹر، ڈائریکٹوریٹ اقلیتی فلاح - نائب صدر
- پرنسپل سیکریٹری، محکمہ تعلیم/سیکریٹری یا ان کے نمائندہ - ممبر
- پرنسپل سیکریٹری، محکمہ محنت و وسائل/سیکریٹری یا ان کے نمائندہ - ممبر
- سیکریٹری، مدرسہ بورڈ یادگیر اعلیٰ سطح کے نمائندہ - ممبر
- مدرسہ اسلامیہ شمش الہدی، پٹنہ کے پرنسپل - ممبر
- نائب سیکریٹری/نائب ڈائریکٹر/انڈر سیکریٹری، محکمہ اقلیتی فلاح/ڈائریکٹوریٹ - ممبر سیکریٹری
- کورم چار ممبران سے مکمل ہوگا جس میں پرنسپل سیکریٹری/سیکریٹری و ڈائریکٹر کی حاضری لازمی ہوگی۔
- ۷.۲ محکمہ جاتی کمیٹی امکانات کا تجزیہ و دستیاب گرانٹ کے بنیاد پر تجویزوں پر جزوی یا مکمل منظوری دیگی عمل کی ترجیح طے کرے گی۔ کمیٹی منصوبہ کے نفاذ میں آرہی طریقہ کار اور دیگر خامیوں کو دور کرنے کے لئے پالیسی تبدیلی کے لئے مشورہ پر بھی غور کرے گی۔ ساتھ ہی مرکز و ریاستی حکومتوں کے ذریعہ اسکولوں میں چلائی جا رہی منصوبوں کو مدرسوں میں نافذ توسیع کرنے کے لئے انٹرپورٹی کے تجویزوں پر بھی کمیٹی ہدایات دیگی۔
- ۷.۳ ڈائریکٹوریٹ اقلیتی فلاح..... ایجنسی کا انتخاب کریگا اور اسے تفصیل منصوبہ تخمینہ و نقشہ تیار کرنے کو براہ راست کرے گا۔ تخمینہ حاصل ہونے کے بعد ضروری انتظامیہ اور مالی منظوری کے لئے محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی۔ تعمیر کا کام ریاستی ایجنسی... محکمہ تعمیر عمارت، بہار ریاستی تعلیمی... انفراسٹرکچر ترقیاتی کارپوریشن، بہار ریاستی تعمیر عمارت کارپوریشن وغیرہ کے ذریعہ سے عمل میں لایا جائے گا۔
- ۷.۴ منصوبہ تجویز رپورٹ کے تحت مندرجہ بالا ہیڈ و میں درج منصوبوں کے کاموں میں ترمیم و



مدرسوں کے لئے انفراسٹرکچر سہولتوں کے منظور شدہ معیار / معیار کے مطابق ہی تیار کیا جائے گا۔
۶.۱ ضلع منظور کمیٹی:- مدرسوں سے حاصل تجویزوں کے منظوری کے لئے ضلع سطح پر ضلع منظوری کمیٹی کام کرے گی، جس میں مندرجہ ذیل ممبران ہوں گے۔

ضلع مجسٹریٹ رڈ پی ڈی پلیمنٹ آفیسر	-	صدر
ضلع تعلیمی آفیسر پروگرام آفیسر	-	ممبر
محکمہ تعمیر عمارت کے انز کیوٹیو انجینیر	-	ممبر
ضلع ایڈ مدرسہ کے پرنسپل	-	ممبر
مدرسہ کے انتظامیہ کمیٹی کے سیکریٹری	-	ممبر
ضلع محکمہ اقلیتی فلاح آفیسر	-	ممبر سیکریٹری

کورم تین ممبران سے پورا ہوگا جس میں صدر، ممبر سیکریٹری و متعلقہ مدرسے کے انتظامیہ کمیٹی کے سیکریٹری کی حاضری ضروری ہوگا۔

۶.۲ مختصر تخمینہ و مقامی جانچ:- ضلع منظوری کمیٹی کے مشورہ سے سابق مدرسے کے ذریعہ حاصل تجویزوں کی مقامی جانچ دور کی کمیٹی کے ذریعہ کیا جانا ضروری ہوگا۔ جانچ کمیٹی میں متعلقہ ضلع کے محکمہ تعمیر عمارت کے نائب انجینیر و ضلع اقلیتی فلاح آفیسر ہوں گے۔ جانچ کے وقت متعلقہ مدرسے انتظامیہ کمیٹی کے سیکریٹری کی حاضری یقینی ہوگی۔ جانچ ایک ماہ کے مدت میں مکمل کیا جانا لازمی ہوگا۔ جانچ کمیٹی دیگر پوائنٹس کے اضافی تجویز کردہ کاموں کی تفصیلی آئٹ لائن و معیاری شرح / ریس آر او (Schedule of Rate) کے بنیاد پر قیمت کا مختصر یا تفصیلی تخمینہ بھی مہیا کراے گا۔

۶.۳ ضلع منظوری کمیٹی حاصل تجویزوں کو جمع کر ہر ماہ ڈائریکٹوریٹ اقلیتی فلاح کو اپنی سفارش کے ساتھ مہیا کراے گی۔

۷. محکمہ جاتی منظوری کمیٹی:- ضلع کے ذریعہ حاصل تجویزوں کے منظوری کے واسطے ریاستی سطح پر محکمہ جاتی منظوری کمیٹی عمل درآمد ہوگی جس میں مندرجہ ذیل ممبران ہوں گے:-

۳. منصوبہ اور نظم کے کاموں کے لئے مختلف مدرسوں سے حاصل شدہ تجویزوں کے بنیاد پر مکمل بجٹ کا نظم کیا جائے گا۔

۴. پوائنٹ ۲.۱ کے تحت کاموں کا عمل ڈائریکٹوریٹ اقلیتی فلاح کے ذریعہ کیا جائے گا۔ پوائنٹ ۲.۲ کے تحت کاموں کا عمل بہار ریاستی مدرسہ بورڈ کے ذریعہ کرایا جائے گا، جس کے لئے محکمہ کے ذریعہ مدرسہ بورڈ کو ہر سال بجٹ تخمینہ کے بنیاد پر گرانٹ رقم مہیا کرایا جائے گا۔

۵. منصوبہ کے عمل کے لئے مدرسوں کی اہلیت :-

۵.۱ منصوبوں کا عمل بہار ریاستی مدرسہ بورڈ کے ذریعہ گرانٹ شدہ مدرسوں و دیگر سرکاری مدرسوں میں کیا جائے گا۔ منصوبہ کے بہتر نظم کے لئے مدرسہ بورڈ موجودہ تعلیمی معیار کو دیکھتے ہوئے، ہر ایک بلاک میں ایک بلاک ہیڈ مدرسہ اور ضلع سطح پر ایک ضلع ہیڈ مدرسہ کا نصاب کرے گا۔ چنانچہ مدرسے وسائل مرکز کا کام کریں گے و منصوبہ کے نفاذ میں مدد کریں گے۔

۵.۲ منصوبہ کے لئے مدرسوں کا انتخاب :-

منصوبہ کا عمل ایسے ہی مدرسوں میں کیا جائے گا جو مندرجہ ذیل شرطوں کو پورا کرتے ہوں۔

(الف) متعلقہ مدرسہ مینجمنٹ کمیٹی کے خلاف پچھلے تین سالوں میں کسی نظم و ضبط کی کاروائی کے ضمن میں کمیٹی مجرم نہیں پائی گئی ہو۔

(ب) منصوبہ کے لئے مدرسوں کے نام سے مناسب زمین مہیا ہو۔

(ج) متعلقہ مدرسوں میں 70 طلبہ سے زیادہ کا داخلہ ہو۔

(د) متعلقہ مدرسوں کی منظوری کم از کم دو سالوں سے زیادہ کا ہو۔

اس کے لئے مدرسہ بورڈ اہلیت شدہ مدرسوں کی فہرست جاری کرے گا۔

۵.۳ تجویز رپورٹ :- مدرسہ انتظامیہ کمیٹی، مدرسے میں ضروری سہولتوں رڈ ہانچے کا اندازہ کرے، تجویز رپورٹ تیار کرے گی و تجویز کو ضلع اقلیتی فلاح آفیسر کے دفتر میں جمع کیا جائیگا۔ تجویز رپورٹ میں کاموں کی تفصیل کا فہرست شامل ہوگا۔ تجویز محکمہ تعلیم کے ذریعہ طے مختلف سطح کے

بہار ریاستی مدرسہ مستحکم منصوبہ سے متعلق گائڈ لائن

۱. بہار ریاستی مدرسہ بورڈ سے منظور شدہ مدرسوں و دیگر سرکاری مدرسوں میں بنیادی سہولتوں و انفراسٹرکچر دستیاب کرائے جانے و تعلیمی بہتری کے حل سے متعلق منصوبہ کو بہار ریاستی مدرسہ مستحکم منصوبہ ”Bihar State Madarsa Strengthening Scheme“ کے نام سے جانا جائے گا۔

۲. مستحکم کئے جانے والے کام۔ اس منصوبہ کے تحت کئے جانے والے اہم کام خاص طور سے دو طرح کے ہوں گے:-

۲.۱ انفراسٹرکچر سہولتیں۔ عمارت، دفتر چمبر، ملٹی سیکٹرل ہال، ہاسٹل پروفیسنل ٹریننگ کے لئے ہال، کمپیوٹر سائنس لیب، اضافی کلاس روم، لائبریری، باورچی خانہ، میس، بیت الخلاء وغیرہ کی تعمیر، عمارت کی Restructure، صاف پانی کے لئے بورنگ، پمپ وٹنکی کے ساتھ نل، بجلی، سولر انرجی پلانٹ وغیرہ کا انتظام۔

۲.۲ تعلیمی معیار میں بہتری۔ مدرسوں میں روایتی موضوع کے ساتھ ہندی، انگریزی، سائنس، سماج سائنس، حساب وغیرہ کے نصاب کا آغاز کیا جانا، پڑھنے لکھنے کی سہولت مہیا کیا جانا جس سے مدرسہ اور اسکولی تعلیم میں فرق ختم کیا جاسکے اور مدرسہ تعلیم میں بہتری کیا جاسکے۔ حکومت کے زیر اہتمام کوشل ٹریننگ مرکز، مدرسہ اسکول برج کورس مرکز، مقابلہ ذاتی امتحان کے لئے کوچنگ مرکز کا قیام و انتظام وغیرہ۔ تعلیمی و تعلیمی، ریسرچ وغیرہ کی سرگرمی۔ اس کے علاوہ کتابوں، میگزین، اخبار، کھیل کود کے سامانوں کو مہیا کرائے جانے کا نظم کیا جانا۔ استادوں کا ٹریننگ، باہری استادوں و ماہر کی خدمات حاصل کرنے، مدرسوں کے استادوں/شاگردوں کا ملک کے چندہ مدرسوں کا ٹور وغیرہ کی تجویز۔ مدرسہ بورڈ کا صلاحیت بڑھانے اور جدیدیت سے متعلق تجویز۔